भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 283

उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026 (गुरूवार)

22 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधि का उपयोग

283 **श्री जोगेन मोहनः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन), पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), विशेष पैकेज और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आवंटित, संस्वीकृत, निर्गत और प्रयुक्त निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं का नाम, अनुमोदित लागत, निर्गत निधि, व्यय, कार्यान्वयन अभिकरण, वर्तमान स्थिति और पूर्ण होने की संभावित तिथि को दर्शाते हुए संस्वीकृत परियोजनाओं का ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम से ज़िला-वार कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित है और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषकर पिछड़े, बाढ़-प्रवण और सीमावर्ती ज़िलों में निधियों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(**क**) **से** (**घ**) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधि उपयोग विषय पर राज्य सभा में दिनांक 13 अगस्त 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-डिवाइन, नेसिड्स, एनईसी, विशेष पैकेज और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अन्य स्कीमों के अंतर्गत असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और स्कीम-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) परियोजना का नाम, संस्वीकृत लागत, जारी निधि, व्यय और वर्तमान स्थिति सहित जिला-वार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण https://nesetu.mdoner.gov.in/projects/map पर उपलब्ध है।

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों, जिनमें विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) शामिल भी है, के अंतर्गत क्रमशः दिनांक 12/05/2026 और 17/07/2026 को दो परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय में विचारार्थ प्राप्त हुए हैं।

(घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के समग्र विकास के लिए पाँच केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीमों, अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन), उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम- सड़क अवसंरचना के अलावा (नेसिड्स-ओटीआरआई), उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम-सड़कें (नेसिड्स-सड़कें), उत्तर पूर्वी परिषद की स्कीमें (एसओएनईसी) और विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष में रखी जाने वाली परियोजनाओं की कुल राशि राज्य के मानक आवंटन पर निर्भर करती है। मानक आवंटन के अंतर्गत निधि राज्यों के बीच दिए गए वेटेज के आधार पर वितरित की जाती है, जो कुछ पैरामीटरों जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़कों की सघनता, जनगणना के प्रतिशत आदि से प्राप्त किए जाते हैं।

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के अंतर्गत स्कीमों के वित्तीय परिव्यय को विभिन्न घटकों, अर्थात केंद्रीय एजेंसी घटक (सीएसी), राज्य मानक घटक (एसएनसी) और केंद्रित विकास घटक (एफडीसी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीएसी और एसएनसी के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में स्थानीयकृत अवसंरचना और सहायता प्रणालियों का विकास करके लक्षित अन्त:क्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएसी और एसएनसी के अंतर्गत जलविद्युत, मृदा अपरदन नियंत्रण, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु वित्तपोषण के माध्यम से निर्माण-पूर्व आवश्यक कार्यकलापों को भी शामिल किया जाता है। एफडीसी के अंतर्गत लक्षित आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना संबंधी पहलों के माध्यम से कमजोर वर्गों तथा सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के उत्थान हेतु संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये सभी व्यवस्थाएँ

मिलकर केंद्र सरकार को उभरते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमोदित करने हेतु कार्यनीतिक अनुकूलता प्रदान करती हैं।

इन स्कीमों के अंतर्गत पिछड़े, बाढ़-प्रवण और सीमावर्ती जिलों सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ-साथ, अन्य 54 गैर-छूटप्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं हेतु अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% नियत करें। 10% जीबीएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया।

अनुबंध

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधि उपयोग" के विषय पर राज्य सभा में दिनांक 13 अगस्त 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(करोड़ रुपये में)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में आवंटित, संस्वीकृत, जारी एवं उपयोग की गई निधियों का विवरण													
		वर्ष 2023-24				**वर्ष 2024-25**				**वर्ष 2025-26**			
क्रं. सं.	**स्कीम का नाम**	**आवंटन (आरई)**	**अनुमोदित**	**जारी**	**उपयोग**	**आवंटन (आरई)**	**अनुमोदित**	**जारी**	**उपयोग**	**आवंटन (आरई)**	**अनुमोदित**	**जारी**	**उपयोग**
1	एनईसी की स्कीमें	825	158.23	787.66	787.66	800	244.76	796.37	796.37	1000	459.28	792.12	792.12
2	नेसिड्स-ओटीआरआई	1389.94	805.521	528.07	528.07	650	970.098	638.75	613.25	900	1429.09	899.4	886.69
3	नेसिड्स - सड़कें	1100	842.01	512.18	512.18	850	806.15	849.14	849.14	700	924.28	704.53	704.53
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल	2174.46	3437.28	7.78	7.78	1394	948.26	1184.87	1005.52	1504.22	1416.78	1430.67	1399.95

	(पीएम - डिवाइन)												
5	विशेष विकास पैकेज - कुल	300	188.96	46.45	46.45	202	62.79	132.48	132.48	232.55	741.50	208.38	208.38
	कुल स्कीमें	**5789.4**	**5432**	**1882.1**	**1882.14**	**3896**	**3032.06**	**3601.61**	**3396.8**	**4336.8**	**4970.93**	**4035.1**	**3991.67**
